

11/4/16 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
 पेश हुई। विपक्षीयता को प्रतिरोध
 नोटिस (सम्मान) जारी किया जाकर,
 जवाब किया जावे। पत्रावली वास्तव
 जवाब दिनांक 28/4/16 को पेश होवे।

28/4/16 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था,
 होने से पत्रावली
 दिनांक 28/4/16 को पेश होवे।

आज्ञा से
 28

रीडर
 उपखण्ड अधिकारी, नृपभदेव

5/20/16 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
 प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। वादी (पार्थी)
 ने मसौदा कौल उपस्थित होकर पार्थी-पक्ष वास्तव प्रस्तुत
 दावा (पार्थी-पक्ष) विद्वानों को वास्तव पेश किया गया। प्रस्तुत
 पार्थी-पक्ष पक्षकारों का तथा अधिवक्ताओं को पढ़ कर सुनाया
 गया। पार्थी-पक्ष पार्थी ने सही होना स्वीकार किया। अतः पार्थी
 का पार्थी-पक्ष को स्वीकार किया जाकर उसके द्वारा नया दावा
 पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पार्थी-पक्ष द्वारा
 136 LR. Act. का विद्वानों को सुनाया जा रहा है।
 पत्रावली केवल सुनार होकर नबबर
 से काम की जाकर दाखिल नबबर हो जाईस सुनाया
 गया।